

7/3/2022

7/3/2022


पत्तावली पत्र हस्तगत किया गया है। इसमें पत्तावली नं. 1 न. 6 का
 नाम लिखा है। इसमें उक्त पत्तावली नं. 1 का नाम
 उल्लेख है। भी गरीबों के हितों के लिए
 पत्तावली वाले को उक्त पत्र दिनांक 8/3/2022 को

अथवा

8.3.22

पत्तावली पत्र हस्तगत किया गया है। पत्तावली का
 दृष्टान्तपूर्वक प्रबलकन किया गया एवं बहस प्रपत्र पर
 प्रस्तुत किया गया। बहस के दौरान पार्थी वकील ने पार्थी
 पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया तथा पार्थी का पार्थी
 प्रत्यक्षी निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया।
 पत्तावली का दृष्टान्तपूर्वक प्रबलकन किया गया एवं
 बहस पर प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण का दावा इत
 न्यायालय में विचारार्थ है। विवादित भूमि को लेकर
 पत्ताकारान में प्रत्यक्ष प्रमाण न हो इसके लिए
 प्रपार्थीगण को जरिपे प्रत्यक्षी निषेधाज्ञा के दावा
 का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है।

आदेश

पार्थी का पार्थी पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रमाणों
 को जरिपे प्रत्यक्षी निषेधाज्ञा के पाबंद  जाता है कि
 वे ग्राम भावता परवार हल्का जहाज के भूमि निसरानम्बर

अथवा

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	<p>५५५ रकबा ०.०६ हे० के झोके एवं रिहाई की प्रथास्थिति दावा का निर्णय होने तक बर्खास्त रहे। पत्रावली फेल लुगाए होकर नम्बर के कम हो तथा दाखिल फेल हो।</p> <p style="text-align: right;">४५६ ४/३/२२</p>	